

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**For immediate release**

**Press Note No: PRD/Press Note/6/2017-18**

**3<sup>rd</sup> July 2017**

**BIS raids Plywood Trading Unit**

Bureau of Indian Standards (BIS) conducted enforcement raid at M/s Daya Timbers, in New Delhi. The firm was trading Plywood with spurious BIS logo, violating Section 11 (1) of BIS Act, 1986 under which there is a provision of fine of Rs. 50,000/- and/or one year imprisonment.

Alka  
Deputy Director, PR  
23234048

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय मानक ब्यूरो

प्रेस नोट सं: पीआरडी/प्रेस नोट/6/2017-18

03.07.2017

**भारतीय मानक ब्यूरो का टिम्बर यूनिट पर छापा**

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने नई दिल्ली में मैसर्स दया टिम्बर्स पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई बीआईएस के फर्जी चिन्ह वाले प्लाईवुड की बिक्री कर रही थी, जो बीआईएस अधिनियम 1986 की धारा 11(1) का उल्लंघन है। बीआईएस अधिनियम के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस लिए बिना मुहर का उपयोग या इसकी नकल दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 50,000/- रुपए का जुर्माना अथवा एक वर्ष की सजा या दोनों हो सकते हैं।

(अलका)

उपनिदेशक जनसंपर्क  
23234048